

दल परिवर्तन कानून

प्रलिस के लयः

दल परिवर्तन, 91वाँ संवधान संशोधन, दसवीं अनुसूची

मेन्स के लयः

दल परिवर्तन कानून को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

क्या है दल परिवर्तन कानून कानून?

- दल परिवर्तन कानून कानून 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
- इसे भारतीय संवधान की **दसवीं अनुसूची** में जोड़ा गया है और सामान्यतः इस अधिनियम को 'दल-बदल कानून' कहा जाता है।
- दल-बदल को "नषिठा या कर्तव्य का सचेत परत्याग" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसमें दल परिवर्तन के आधार पर नरिहता के बारे में प्रावधान किया गया है।
- पीठासीन अधिकारी के पास दल-बदल के सिद्धि आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है।
- इसका लक्ष्य वधायकों को उनके कार्यकाल के दौरान राजनीतिक संबद्धता में परिवर्तन करने से रोकना था।
- यह संसद और राज्य वधिनसभाओं दोनों पर लागू होता है।

उत्पत्ति

- वर्ष 1967 में हरयाणा के वधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदली।
- इसके बाद "आया राम गया राम" भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय मुहावरा बन गया।
- राज्यों में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन करना एक सामान्य बात हो गई थी, जसिने राज्य सरकारों को उनकी सत्ता से हटाने का कार्य भी किया।
- लोकसभा में इस पर चर्चा व्यक्त की गई और समस्या का आकलन करने के लिये गृह मंत्री यशवंतराव बलवंतराव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
- सबसे पहले चव्हाण समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि कोई वधायक धन लाभ के लिये दल परिवर्तन करता है, तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाना चाहिये और कुछ समय के लिये चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाना चाहिये।
- दल-बदल वरिधी कानून इस तरह परिवर्तनों को रोकने के लिये प्रस्तुत किया गया था और इसलिये 52वें संवधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे शुरू किया गया।
- वर्ष 1992 में, दसवीं अनुसूची को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया और कहितो होलोहन बनाम ज़ाचलिहू और अन्य के एक ऐतिहासिक मामले के तहत इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई।
- वर्ष 2003 में, 91वें संशोधन के माध्यम से, नयिमति दल-बदल से निपटने के लिये दल परिवर्तन कानून को और अधिक प्रभावी बनाया गया।
 - इसने उन प्रावधानों को हटा दिया जो पार्टी में वधिजन के मामले में वधायकों को संरक्षण प्रदान करते थे।
 - इसमें यह भी कहा गया कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए किसी भी वधायक को कार्यकारी या मंत्री पद से भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

उद्देश्य

- यह किसी पद या भौतिक लाभ अथवा ऐसे अन्य वधियों के प्रलोभन से प्रेरित दल परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है।
- यह वधायकों को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के लिये एक राजनीतिक संघ से दूसरे राजनीतिक संघ में स्थानांतरित होने से रोकता है।
- यह दलीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखता है और सरकारों को गरिने के खतरे को रोकता है।
- वधायक पार्टी वधि के पक्ष में मतदान करें इस बात को सुनिश्चित करते हुए यह पार्टी/दलीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।

- यह सदस्यों की नरिह/अयोग्य ठहराए बिना राजनीतिक दलों के वलिय की अनुमति देता है।
- यह लोकतंत्र की संस्था को मजबूत करता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता रखता है।

अयोग्यता/नरिहता के आधार

- सर्वोच्च न्यायालय ने दल परिवर्तन कानून के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की है।
- नरिहता के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है **"स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग करना"**।
 - इसका अर्थ त्याग-पत्र की तुलना में अधिक व्यापक है।
 - औपचारिक त्याग-पत्र के अभाव में उनकी सदस्यता के त्याग का अनुमान विधिनिरमाता के रूप में उनके आचरण से भी लगाया जा सकता है।
 - **उदाहरण:** जनता दल (यूनाइटेड) के दो सदस्यों को वर्ष 2017 में राज्य सभा के सभापति द्वारा "अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने" के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कई कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आलोचना की थी और विपक्षी दलों की रैलियों में भाग लिया था।
- दल-बदल का एक अन्य आधार **"नरिदेशों का उल्लंघन"** (Violation of Instructions) है। इसका अर्थ यह है कि यदि विधायक उस राजनीतिक दल द्वारा जारी किये गए नरिदेश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है, तो उसे अयोग्य माना जाएगा।
 - राजनीतिक दल द्वारा जारी नरिदेश को पार्टी वृहद के नाम से जाना जाता है।
- एक विधायक को आगे भी अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह स्वतंत्र रूप से नरिवाचिता सदस्य है और एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- एक विधायक को अयोग्य घोषित माना जाएगा यदि वह एक मनीषित सदस्य है और विधायक बनने की तिथि से छह माह बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- पीठासीन अधिकारी, जो दल-बदल की अयोग्यता के आधारों की वैधता का नरिणय करता है, का नरिणय **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।
 - प्रारंभ में, पीठासीन अधिकारी का नरिणय **न्यायिक समीक्षा** के अधीन नहीं था।
 - वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी।
 - लेकिन जब तक पीठासीन अधिकारी अपना आदेश नहीं देता तब तक कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता।

अपवाद

- यदि किसी पार्टी के कम-से-कम दो-तर्हिई विधायक वलिय के पक्ष में हैं तो इस प्रकार के वलिय के मामले में कानून एक पार्टी को किसी अन्य पार्टी में वलिय करने में सक्षम बनाता है।
 - न तो वलिय का फैसला करने वाले सदस्य को नरिहता का सामना करना पड़ेगा और न ही मूल पार्टी में बने रहने वाले सदस्य को।
- दल-बदल विरोधी कानून के परिच्छेद 5 के अनुसार, विधायिका के स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को दल-बदल के आधार पर नरिहता अयोग्यता से छूट प्रदान की गई है।

दल परिवर्तन कानून पर विधि मत/विचार

- विशेषज्ञ समितियों का सुझाव है कि संसद सदस्य को नरिह/अयोग्य घोषित करने का नरिणय **राष्ट्रपति** द्वारा किया जाना चाहिये और राज्य विधानसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का नरिणय राज्यपाल द्वारा नरिवाचन चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सफारिश की है कि संसद इस संदर्भ में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने पर विचार कर सकती है, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानवृत्त न्यायाधीश की जाएगी। इससे दल-बदल के मामलों का शीघ्र और समय पर निपटान करने में मदद मिलेगी।
- कुछ लोगों का मानना है कि दल परिवर्तन कानून ने काम करना बंद कर दिया है और इसमें कई खामियाँ हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि यह केवल अवशिष्ट प्रस्ताव के मामलों में लागू होता है।
- दल परिवर्तन कानून के लागू होने के बाद, संसद या विधायक को पार्टी के नरिदेशों का आँख मूंदकर पालन करना होता है और उन्हें अपने फैसले के पक्ष में वोट देने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है।
 - दल-बदल विरोधी कानून के चलते विधायकों को मुख्य रूप से राजनीतिक दल के प्रति जिवाबदेह बनाकर जिवाबदेही के बंधन को तोड़ा गया है।

दल परिवर्तन कानून को और प्रभावी बनाने के लिये सुझाव

- दल-बदल विरोधी कानून या दल परिवर्तन कानून का इस्तेमाल तर्कसंगत और नरिषेक अर्थों में किया जाना चाहिये। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि यह कानून उन मामलों में मान्य होना चाहिये जहाँ मतदान सरकार की स्थिरता तय करते हैं।
 - उदाहरण: **अवशिष्ट प्रस्ताव** या **वार्षिक बजट** के मामले में, जहाँ मतदान द्वारा सरकार की स्थिरता तय होती है।
- कुछ लोगों का मानना है कि अयोग्यता के प्रश्न से निपटने की शक्ति का नरिणय एक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये। चूँकि स्पीकर का कार्यकाल सदन में पार्टी के बहुमत पर नरिभर करता है, होलोहन वाद में न्यायमूर्ति विरमा द्वारा दिये गए नरिणय के अनुसार, स्पीकर को इस तरह का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये।
- 170वें **विधि आयोग** की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का समर्थन किया जाना चाहिये, जिससे पार्टी के सदस्यों के बीच चर्चा हो सके और पार्टी के भीतर तानाशाही पर अंकुश लगाया जा सके।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची का परीक्षण किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दल-बदल विरोधी कानून का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है। एक मार्गदर्शक संस्था के रूप में न्यायालय की भूमिका कानून की कमियों का पर्यवेक्षण और सुधार कर सकती है।

दल-बदल वरिधी कानून से संबंधति हालिया घटनाएँ

- वर्ष 2020 में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा कि स्पीकर को "उचित समय" के भीतर अयोग्यता के सवाल पर फैसला करना चाहिये।
- **कीशम मेघचंद्र बनाम माननीय अध्यक्ष मणपुरि वाद (2020)**
 - कीशम मेघचंद्र बनाम माननीय अध्यक्ष मणपुरि वाद में, न्यायमूर्ति रोहित नरीमन ने दल-बदल के मामलों से नपिटने के लिये एक बाहरी साधन स्थापति करने की आवश्यकता की बात की।
 - उनके शब्दों में, "दसवीं अनुसूची के तहत उत्पन्न होने वाली अयोग्यता से संबंधति वविदों के मध्यस्थ के रूप में लोकसभा और वधानसभाओं के अध्यक्ष को प्रतस्थापति करने के लिये संसद संवधान में संशोधन पर गंभीरता से वचार कर सकती है।"
 - आगे उन्होंने कहा कि यह "सर्वोच्च न्यायालय के सेवानवित्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानवित्त मुख्य न्यायाधीश, या किसी अन्य बाहरी स्वतंत्र तंत्र की अध्यक्षता में एक स्थायी न्यायाधिकरण के साथ यह सुनिश्चिति कया जा सकता है कि इस तरह के वविदों का नपिटान तेज़ी से और नषिपक्ष रूप से हो, इस प्रकार वास्तवकि रूप में दसवीं अनुसूची में नहिनि प्रावधानों को मज़बूती मलिगी, जो हमारे लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं"
- महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट ने भी स्पीकर और राज्यपाल की भूमिकाओं और दल-बदल वरिधी कानून पर फरि से प्रकाश डाला है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रारंभिकि परीक्षा

प्र. भारत के संवधान की नमिनलखिति अनुसूचियों में से कसिमें दल-बदल वरिधी प्रावधान हैं? (2014)

- (a) दूसरी अनुसूची
- (b) पाँचवी अनुसूची
- (c) आठवी अनुसूची
- (d) दसवी अनुसूची

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा

प्र. कुछ वर्षों से सांसदों की वयकतगित भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतगित मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहा प्रायः देखने को नहीं मलिती। दल परविरतन वरिधी कानून, जो भनिन उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिये उत्तरदायी माना जा सकता है? (2013)